



माननीय श्री प्रसाद मोरारिया
अध्यक्ष, राजस्थान आवासनमण्डल



माननीय श्री अशोक मेहता
मुख्यमंत्री, राजस्थान



माननीय श्री शान्ति धारवाडकर
नगरीय विकास आवासन

एवंस्वायत्तशासनमंत्री, राजस्थान

राजस्थान आवासन मण्डल

(राजस्थान अधिनियम संख्या 4, 1970 के अन्तर्गत स्थापित)

वर्षापूर्व योजना संख्या 2013

वर्षापूर्व (जी-8) आवासन योजना, कुटी आवासनी फेज द्वितीय, पाली रोड, जोधपुर

मध्यम आय वर्ग (अ) हेतु

जोयपुर रोड के पूर्व प्रतीकृत एवं नये आवेदकों हेतु

6.3.2013 से 10.4.2013

RH

आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ :-

- मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और मकान बनाने के लिए आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशान में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- मकान के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के मकान के लिये आप की निर्धारित किश्त देते रहे तो कुछ ही वर्षों में मकान आपका हो जायेगा।
- मण्डल द्वारा निर्मित मकानों को डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं/वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है जिससे मकान में न केवल सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्क संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बिना लाभ हानि के सिद्धान्त पर चलता है तथा बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है अतः निर्विवाद रूप से मण्डल के मकान सस्ते पड़ते हैं।

राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर

स्ववित्त पोषित योजना-2013

मध्यम आय वर्ग 'अ' 128 फ्लैट कुड़ी भगतासनी, फेज द्वितीय पाली रोड, जोधपुर

बहुमंजिले (जी+3) आवासीय योजना, कुड़ी भगतासनी, जोधपुर में आवेदन-पत्र
की विक्री / प्राप्ति व वरीयता निर्धारण हेतु

कार्यक्रम

- | | |
|--|--|
| 1. आवेदन-पत्र की 'विक्री' की तिथि | 6-3-2013 |
| 2. आवेदन-पत्र बैंक में प्रस्तुत करने की
अंतिम तिथि | 10-4-2013 |
| 3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु
अस्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान | 10-5-2013
उप आवासन आयुक्त कार्यालय
वृत्त-प्रथम |
| 4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | 4-6-2013 |
| 5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची
के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान | 10-7-2013
उप आवासन आयुक्त कार्यालय
वृत्त-प्रथम |
| 6. वरीयता निर्धारण हेतु
लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान | 14-7-2013
उप आवासन आयुक्त कार्यालय
वृत्त-प्रथम |

—: सम्पर्क सूत्र :-

1. उप आवासन आयुक्त
वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल
सेक्टर 5, मेन बाईपास रोड
कुड़ी भगतासनी, जोधपुर
मो. 9828109429

2. आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड द्वितीय मो. 9983993940
खण्ड तृतीय मो. 9783810110
खण्ड चतुर्थ मो. 9828109429
कुड़ी भगतासनी योजना, जोधपुर

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक
राजस्थान आवासन मण्डल
जनपथ, ज्योति नगर,
जयपुर-302015
फोन : 0141-2740667

राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल द्वारा निर्मित आवासों के लिये पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें

“स्ववित्त पोषित योजना” वर्ष—2013

**बहुमंजिले (जी+3) आवासीय योजना कुड़ी भगतासनी, फेज द्वितीय, पाली रोड़, जोधपुर में
मध्यम आय वर्ग 'अ' के फ्लेटों (आवासों) हेतु
पूर्व पंजीकृत एवं नये आवेदकों हेतु**

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा अधिनियम संख्या 4/1970 के अन्तर्गत वर्ष 1970 में राज्य में मकानों की कमी पूर्ति हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे मकान बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हों।

“स्ववित्त पोषित योजना, वर्ष 2013

जोधपुर शहर की आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल समय समय पर विभिन्न आवासीय योजनाएँ यथा प्रताप नगर, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, भगतकी कोठी व मधुवन की योजना की सफलता के बाद कुड़ी भगतासनी फेज द्वितीय, पाली रोड़, जोधपुर में बहुमंजिले आवासों हेतु आवासीय योजना प्रारम्भ करने जा रहा है। इस बहुमंजिले (जी+3) आवासीय योजना सेक्टर 8 के पास स्थित है। कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना में जन साधारण की आवश्यकता के अनुरूप समस्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस योजना में मध्यम आय वर्ग (अ) के 128 फ्लेट निर्मित किये जाने प्रस्तावित है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका नं. 1

क्र. सं.	आय वर्ग	आवासों की अनुमानित संख्या	अनुमानित कुपर निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1	मध्यम आय वर्ग 'अ' (जी+3)	मूलतः प्रथम तल द्वितीय तल तृतीय तल 128	799.46	22.87 20.41 19.80 16.57

नोट:-

- आवासों की अनुमानित संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- उक्त तालिका में आवासों की केवल अनुमानित लागत दर्शाई जा रही है। चूंकि मण्डल आवासों का आवंटन “बिना लाभ बिना हानि सिद्धान्त” के आधार पर करता है, मण्डल द्वारा आवास आवंटन के समय की अंतिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटन का कोई आक्षेप/विवाद मान्य नहीं होगा।

आवासीय योजना की विशेषताएं:-

यह आवासीय योजना कुड़ी भगतासनी के विकसित सेक्टर 8 के पास एवं पाली रोड के पास में स्थित है। इस आवासीय योजना की प्रमुख स्थानों से दूरी निम्न है:-

1. रेलवे स्टेशन जोधपुर से 12 कि.मी.
2. केन्द्रीय बस अड्डा 15 कि.मी.
3. हवाई अड्डा 5 कि.मी.
4. विश्वविद्यालय 5 कि.मी.
5. प्रस्तावित उच्च न्यायालय 1 कि.मी.

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तें :-

आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, उपनियमों, परिपत्रों एवं अनुबंधों के अनुसार किया जायेगा।

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी-व्यस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन भरणे की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में आवास का आवंटन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य/विशिष्ट पंजीकरण, स्ववित्त पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में आवास आवंटन हो चुका है, तो वह इस योजना में आवास आवंटन का पात्र नहीं होगा।
2. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं आश्रितों में से कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से एक ही आवास आवंटन की पात्रता रखेगा।
3. आवेदक स्वयं का अथवा आवेदक की पत्नी/पति या आवेदक पर आश्रित संबंधी के पास आवेदित शहर में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक आवास/भूखण्ड नहीं होना चाहिए।
4. (अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
- (ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र "आधार कार्ड" (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए। (यदि प्राप्त कर लिये हो)
5. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नहीं किया है और यदि वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन फार्म में करेगा तथा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास आवंटित किया गया है।
7. इस योजना में निर्धारित आय वर्ग से दो आय वर्ग ऊपर अथवा दो आय वर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आय वर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आय वर्ग से ऊपर के आय वर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आय वर्ग से नीचे के आय वर्ग के आवेदक को तृतीय वरीयता दी जाएगी। वरीयता वर्षवार/श्रेणीवार निर्धारित की जाएगी।
8. मण्डल द्वारा आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा:-

तालिका नं. 2

सं.	आवेदक की श्रेणी	आरक्षित कोटा	उपलब्ध प्लेट मानक आय वर्ग 'अ'
1.	वैश्विक श्रेणी प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैश्विक श्रेणी द्वितीय (राज्य सरकार का कर्मचारी व अधिकारी)	18 प्रतिशत 10 प्रतिशत	23 3
2.	सामान्य श्रेणी फैब्रिका प्रोफेशनल, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एवं प्राइवेट डॉक्टर	29 प्रतिशत 6 प्रतिशत	37 7
3.	मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	1 प्रतिशत	1
4.	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	21
5.	अनुसूचित जन जाति	12 प्रतिशत	15
6.	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिवसीकृत पत्रकार	1.5 प्रतिशत	2
7.	स्वतन्त्रता सेनानी	0.5 प्रतिशत	1
8.	भूतपूर्व सैनिक व सैनिकों की विधवाएँ	3 प्रतिशत	4
9.	विकलांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	1 प्रतिशत 1 प्रतिशत 1 प्रतिशत	1 + 1 + 1 = 3
10.	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं एशियाई/ओशनिक युद्ध प्राप्त खिलाड़ी	1 प्रतिशत	1
	योग	100 प्रतिशत	128

उपरोक्तानुसार किसी भी आरक्षित वर्ग में योग्य आवेदक आवास आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आरक्षित आवास सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवंटित किया जायेगा।

* वैतनिक श्रेणी द्वितीय में उपलब्ध 10 प्रतिशत आवासों में से 4 प्रतिशत आवास राज्य सरकार, गण्डलों एवं ग्रामों में अगले दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी/आधिकारियों हेतु आरक्षित होंगे।

नोट:- श्रेणीवार अरक्षित कोटा निर्धारण हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र अनिवार्य है अन्यथा आवेदक का पंजीकरण अवैतनिक श्रेणी प्रथम में मान लिया जायेगा।

9. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अश्विस्थीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सेनानी वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं एशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं एशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ-पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।

10. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएँ गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई तमरता कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जायेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

11. इस योजना में तालिका-1 में दर्शाई गई आवास की अनुमानित लागत (भूतल की) लगभग 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि निम्नानुसार आवेदन पत्र के साथ देय है। जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है:-

तालिका नं. - 3

क्र. सं.	आयवर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि (रुपये में)
1	मध्यम आय वर्ग 'अ'	250001/- से 450000/-	2,30,000/-

नोट : (अ) अवैतनिक श्रेणी के आवेदकों द्वारा आवेदन फार्म के साथ दिये जाने वाले आय के शपथ पत्र के स्थान पर मध्यम आय वर्ग 'अ' से उच्च आय वर्ग तक के शहरी क्षेत्र के आवेदकों को आयकर विवरणिका एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को मूल निवासी प्रमाण पत्र देना होगा तथा आय हेतु उनके स्वामित्व की उपलब्ध भूमि से प्राप्त होने वाली आय को आधार माना जायेगा।

(ब) यदि आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajabasthan.gov.in से डाउनलोड करके आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो पंजीकरण राशि के साथ फार्म की कीमत रुपये 200/- पंजीकरण राशि की डी.डी./पे आर्डर में शामिल कर आवेदन पत्र के साथ जमा करवानी होगी।

(स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।

12. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जायेगी। कुल आय में निम्नांकित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी:-

(अ) स्वयं के लिए -

1. वेतन 2. विशेष वेतन

3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता

4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता

5. गृह/सम्पत्ति/व्यापार से आय

6. विनियोग से ब्याज

7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।

(ब) आवेदक की पत्नी/पति की आय उपरोक्तानुसार।

(स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।

13. यदि आवेदक का पंजीकरण आवेदन पत्र में किसी कमी के कारण से मण्डल द्वारा स्वीकार योग्य नहीं है तो आवेदक की प्रमा राशि में से प्रशासनिक व्यय के विरुद्ध 5 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए शेष राशि आवेदक को नये नियमानुसार उसके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जायेगी। (आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अपने बैंक खाते सम्बंधी दी गई सूचना के अनुसार)। इस अवधि का मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

14. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जना पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) आवेदक को नये नियमानुसार उसके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जायेगी। (आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अपने बैंक खाते सम्बंधी दी गई सूचना के अनुसार)।

15. स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकृत आवेदकों से निर्माण कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् आरक्षण पत्र जारी करते हुए अनुमानित लागत की निम्नानुसार राशि प्राप्त की जायेगी :-

तालिका - 4

क्र. सं.	आवासों का प्रकार	किश्त	आरक्षण पत्र में प्राप्त की जाने वाली राशि	
			समयावधि	राशि
1	बहुमंजिले आवास (स्ववित्त पोषित) MIG A - 12B (G+3)	प्रथम किश्त	1 माह	15.0 %
		द्वितीय किश्त	4 माह	15.0 %
		तृतीय किश्त	7 माह	15.0 %
		चतुर्थ किश्त	10 माह	15.0 %
		पंचम किश्त	13 माह	10.0 %
		षष्ठम् किश्त	16 माह	10.0 %
		सप्तम् किश्त	19 माह	10.0 %

16. स्ववित्त पोषित आवासीय योजना में सामान्यतः आवासों का आवंटन आवेदकों के द्वारा आरक्षण राशि की शमस्त किश्तें जमा होने पर ही किया जाता है, किन्तु उक्त योजना में आवासों का निर्माण प्रगति के दृष्टिगत आरक्षण राशि की प्रथम अथवा द्वितीय किश्त जमा होने के पश्चात् भी आवासों का आवंटन करने को मण्डल स्वतंत्र होगा।
17. इस योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण कार्य "डिपोजिट कार्य" की तरह से होगा। अतः आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि पर आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- (अ) आवेदकों को तालिका-4 के अनुसार जारी किये जाने वाले आरक्षण पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 6 माह तक 18 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती/ब्याज देय होगा। इसके पश्चात् आवेदक का आरक्षण/आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- (ब) तालिका-4 के अनुसार जारी आरक्षण पत्र में वांछित किश्तें आवेदक द्वारा जमा नहीं कराने पर आवेदक का वर्तमान में कराये गये स्ववित्त पोषित योजना का पंजीकरण/आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आवेदक के उल्लेखित पूर्व मूल पंजीकरण को भी निरस्त कर दिया जायेगा।
18. इस स्ववित्त पोषित योजना में पंजीकरण कराने वाले पूर्व पंजीकृत आवेदकों को उनकी पूर्व पंजीकरण राशि पर, पंजीकरण कराने की तिथि से आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि तक नियमानुसार ब्याज देय होगा। पूर्व पंजीकृत आवेदक की पूर्व में जमा राशि का समायोजन (बिना ब्याज) देय प्रथम किश्त में किया जायेगा तथा शेष राशि बिन्दु संख्या 14 के अनुसार आरक्षण पत्र में उल्लेखित तिथि तक जमा करानी होगी। जमा राशि पर ब्याज का समायोजन आवंटन पत्र में किया जायेगा।
19. प्रस्तावित योजना किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी स्ववित्त पोषित योजना की जमा पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।

20. रिफण्ड

- (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात् तथा आरक्षण पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

- (iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (iv) इस योजना का आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक आरक्षण राशि की प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ किश्तें देय होने के बाद जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उस तिथि तक देय राशि (पंजीकरण+आरक्षण राशि) में से 20 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। उदाहरण के लिए यदि आवेदक द्वितीय आरक्षण राशि देय होने के पश्चात जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि, प्रथम आरक्षण राशि तथा द्वितीय आरक्षण राशि की कुल राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। आवेदक द्वारा आरक्षण राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में भी कटौती की गणना हेतु देय आरक्षण राशि को सम्मिलित करते हुए ही कटौती की जायेगी।
- (v) यदि स्ववित्त पोषित योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाला आवेदनकर्ता पूर्व पंजीकृत है तो ऐसी स्थिति में बिन्दु संख्या (i), (ii), (iii) एवं (iv) के अनुसार कटौती की जावेगी तथा आवेदनकर्ता का पूर्व पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जावेगा।
- (vi) उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती स्ववित्त पोषित योजना की पंजीकरण राशि तक ही समिति होगी।
21. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस) अहाते की दीवार, बगीचे, खुले, स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को, आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड एजेंसी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। रख-रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डर-टेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।
22. आरक्षण पत्र के अनुसार प्रथम अथवा द्वितीय किश्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख-रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही आवासों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवास के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सकें।
23. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

24. मण्डल निर्मित आवासों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निश्चित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
25. आवंटन लॉटरी में आवेदक को आवास के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् आवास का आवंटन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें आवास की शेष बकाया मांग राशि एवं जमा कराने की समयावधि का उल्लेख किया जाकर आवेदक को सूचित किया जावेगा। निर्धारित अवधि में आवास की मांग राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मण्डल द्वारा आवास का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक का पंजीकरण भी निरस्त किया जाकर मण्डल प्रावधानों के अनुरूप कटौती करते हुये आवेदक की जमा राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
26. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास के आवंटन पत्र में वर्णित विविध खर्च देय होंगे जिनका मकान के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्च निम्न प्रकार के होंगे:-
- (क) लीज राशि : यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।
- (ख) अन्य खर्च :
- (i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।
- (ii) अन्य विविध खर्च जो कि मण्डल समय-समय पर निर्धारित करें।
27. मण्डल के आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटनी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
28. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटनी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटनी को वहन करने होंगे।
29. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मण्डल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

30. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटनी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :-

1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर.

2. सेनेटरी फिटिंग

3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।

31. मंडल अपनी योजनाओं/आवासों में परिवर्तन/परिदुर्द्धन कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटनी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों में मकान/फ्लेट नहीं देने की स्थिति में उसी शहर के अन्य योजनाओं में मकान/फ्लेट उपलब्ध करवाने के लिए मण्डल स्वतन्त्र होगा। तथा इसी विषय में आवंटनी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। आवंटित किये जाने वाले मकान/फ्लेट/प्रस्तावित डिजाइन/स्पेशिफिकेशन आदि में परिवर्तन किये जाने का मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा।

32. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।

33. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।

34. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटनी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

35. पंजीकरण की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक का पूर्ण विवरण अर्थात् संख्या, दिनांक तथा संबंधित बैंक जिससे बैंकर चैक/ड्राफ्ट प्राप्त किया गया है, चालान में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जावे। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक "राजस्थान आवासन मण्डल" के पक्ष जोधपुर में देय होना आवश्यक है। आवेदन-पत्र, संलग्न चालान, बैंक ड्राफ्ट तथा वांछित दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा निर्धारित बैंकों में निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

36.(अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित उप आवासन आयुक्त/सम्पदा प्रबन्धक/वृत्त प्रथम जोधपुर कार्यालय के पते पर देवे। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मंडल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। पता परिवर्तन

करते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवारान मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लें।

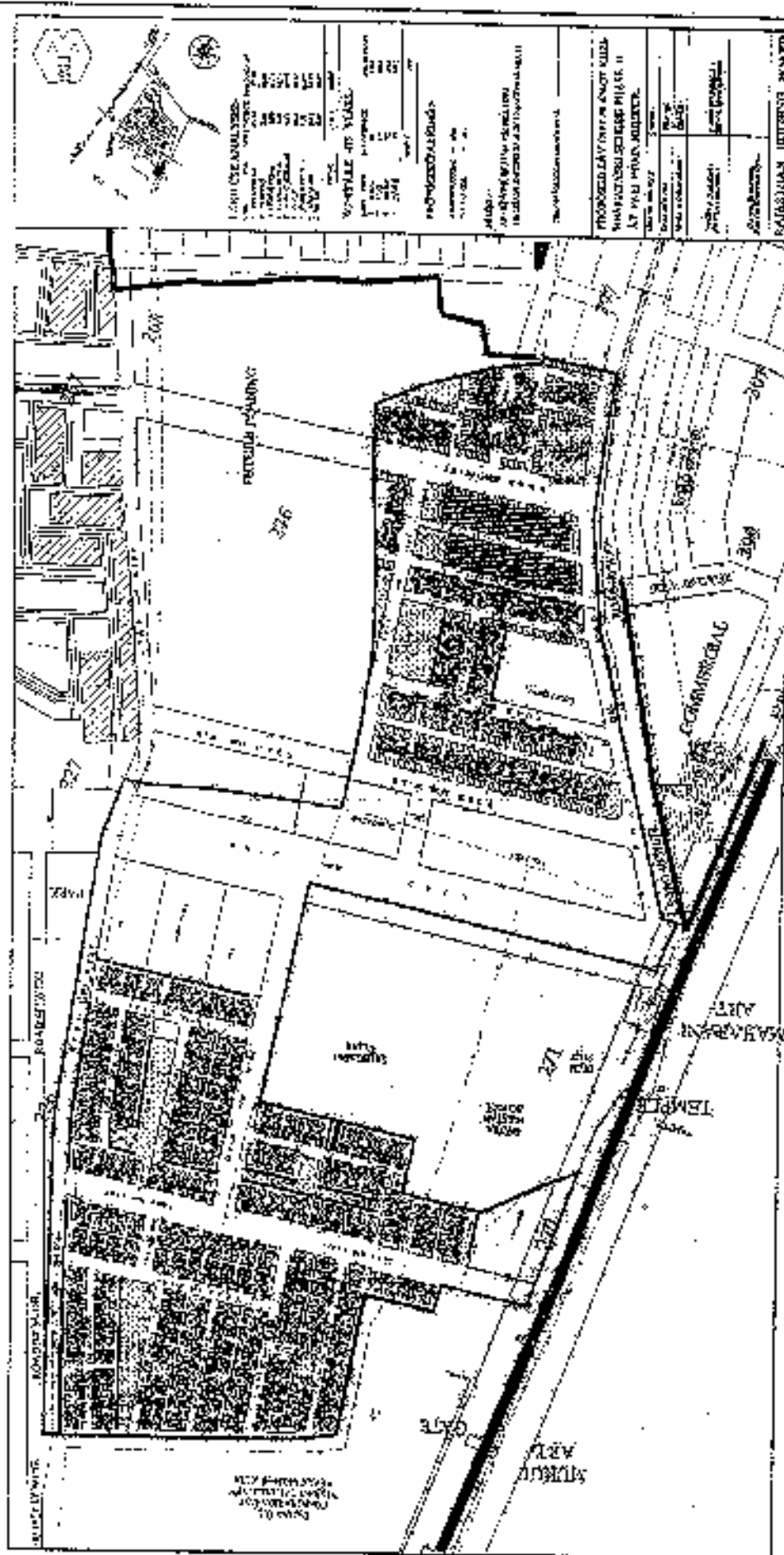
- (ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय-समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लें।
37. **वित्तीय सुविधायें :** आवासन मण्डल से मकान लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।
38. **आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा—** पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्व-हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
39. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास/प्लैट लेना चाहता है।
40. आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उसके ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदन कर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें तथा उपरोक्त स्थित में आवेदक स्वयं पूर्ण हस्ताक्षर करें।
41. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः भित्थि कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटस्थित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जात है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
42. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु :-

- i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 13 वर्ष से कम न हो।
दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों में किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।
 - ii. आवेदन-पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण-पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में रखा जावेगा।
 - iii. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जानि प्रमाण पत्र की सत्यपि प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - iv. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/मृतपूव सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सेनानी वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं एशियाई/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यपि प्रति के साथ शपथ-पत्र नवीनतम कोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।
 - v. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, माई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रपथु में से ही किया जा सकेगा।
 - vi. लाटरी से जो भी आवास आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
 - vii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
 - viii. आवास आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख-रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
 - ix. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जोधपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
 - x. योजना में एक व्यक्ति का स्वतंत्र अथवा संयुक्त रूप से केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा।
 - xi. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन दिनियम 1970 के प्राधान गान्य होंगे।
- आवेदन पत्र पुस्तिका (Booklet) राजस्थान आवासन मण्डल के निम्नलिखित बैंकों से रुपये 200/- भरकर देकर व्यक्तिः अथवा रुपये 200/- का बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर जो कि राजस्थान आवासन मण्डल (Rajasthan Housing Board) के पत्र में जोधपुर स्थित किसी भी बैंक में दिये जा, भेजकर डाक से प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जमा करवाने हेतु निर्धारित बैंक

शहर का नाम	बैंकों का नाम पता व दूरभाष नं.
जोधपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ऑफिसल सोभानी कॉलेज शाखा, कमला नेहरू नगर, जोधपुर फोन : 0291-2752532 ICICI बैंक सेक्टर 18, सी.हा.बोर्ड, जोधपुर फोन : 0291-3247199 इण्डसबैंड बैंक लिमिटेड टॉवर संख्या 1 भूतल सिटी सेंटर साई पेड्रोस पाप के पीछे, रटेश्वर रोड, जोधपुर पंजाब नेशनल बैंक चांद शाह राकिया मार्केट, सोजती रोड, जोधपुर



MIG A 128

Site plan of MG - A



For MIG 'A' - 128

RAJASTHANI HOUSING BOARD

AREA FOR FLATS (PER UNIT)

BUILT UP AREA	56.44 SQ.M.
BALCONY AREA	3.52 SQ.M.
CURBING & MAINTENANCE	4.25 SQ.M.
AREA FOR FLAT	64.21 SQ.M.
SUPPER BUILT UP AREA	33.02 SQ.M.

SCHEDULE OF OPENING

Q.NO.	TYPE	SIZE	DIVISION	UNIT
1.	01	1.00x2.10	2.10	2.10
2.	02	1.00x2.10	2.10	2.10
3.	03	0.50x2.10	2.10	2.10
4.	04	0.75x2.10	2.10	2.10
5.	05	2.10x2.10	2.10	2.10
6.	06	1.00x1.00	0.00	2.10
7.	07	1.00x1.00	1.00	2.10
8.	08	1.00x1.00	1.00	2.10
9.	09	1.00x1.00	1.00	2.10

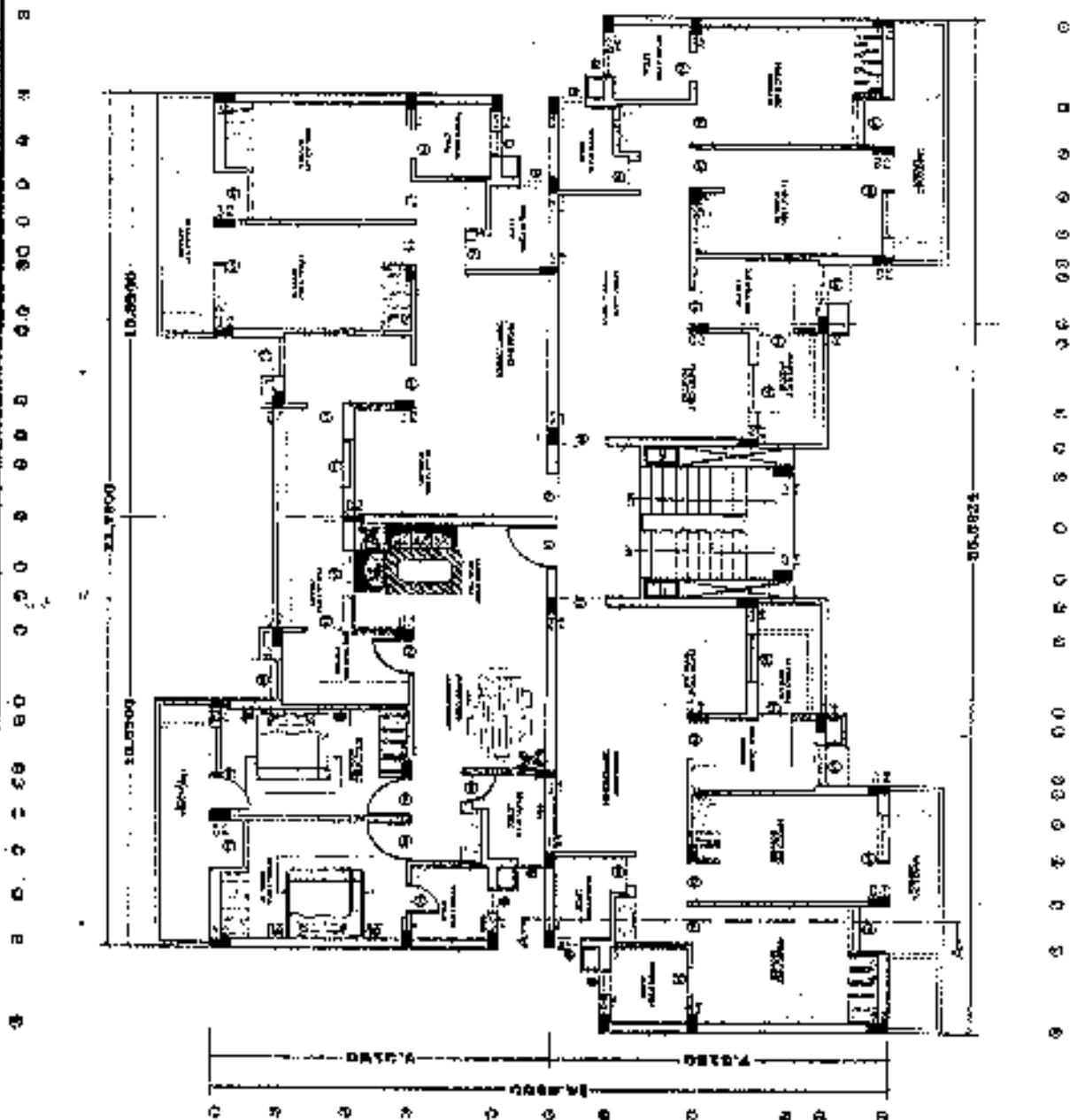
ANY DISCREPANCY SHOULD BE BROUGHT
TO THE NOTICE OF THE PLANNING CELL

TYPE DESIGN OF M.I.B.-1 FLATS 10+3

GROUND FLOOR PLAN

DATE: 15-11-2010	SCALE: 1:500	CHECKED:
DESIGNER: RAJASTHANI HOUSING BOARD	DATE: 15-11-2010	CHECKED:

RAJASTHANI HOUSING BOARD	RAJASTHANI HOUSING BOARD
RAJASTHANI HOUSING BOARD	RAJASTHANI HOUSING BOARD
RAJASTHANI HOUSING BOARD	RAJASTHANI HOUSING BOARD



GROUND FLOOR PLAN



राजस्थान आवासन मण्डल

पंजीकरण योजना वर्ष-2014-द्वितीय चरण

कुड़ी भगतासनी योजना, फेज द्वितीय, पाली रोड़, जोधपुर
में आर्थिक दृष्टि से कमजोर, अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग-अ के (जी+3) फ्लैट्स हेतु

(सभी आवेदकों हेतु)



दिनांक 23.06.2014
से 22.07.2014 तक



वसुन्धरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान

“ मण्डल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना ”



राजस्थान आवासन मण्डल

आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और मकान बनाने के लिये आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- मकान के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के मकान के लिये आप निर्धारित किश्त देते रहे तो भी कुछ ही वर्षों में मकान आपका हो जायेगा।
- मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं / वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है जिससे मकान में न केवल समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती हैं बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्कसंगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ, स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अतः निर्विवाद—रूप से मण्डल के मकान सस्ते पड़ते हैं।



राजस्थान आवासन मण्डल

कुड़ी भगतासनी योजना, फेज द्वितीय, पाली रोड़, जोधपुर में
आर्थिक दृष्टि से कमजोर, अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग-अ के (जी+3) फ्लैटस् हेतु

“पंजीकरण योजना-वर्ष-2014-द्वितीय चरण”

(सभी आवेदकों हेतु)

प्रस्तावित कार्यक्रम

1. आवेदन-पत्र की बिक्री की प्रारम्भ तिथि : 23.06.2014
2. आवेदन-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 22.07.2014

3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु
अस्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान :
4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि:
5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची
के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान :
6. वरीयता निर्धारण हेतु
लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान

अंतिम तिथि के पश्चात्
मंडल की वेबसाइट
www.rhbonline.rajasthan.gov.in
पर सार्वजनिक सूचना जारी की
जावेगी।

सम्पर्क सूत्र

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ ज्योति नगर, जयपुर - 302015 फोन नं. : 0141-2740667	उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त प्रथम, सैक्टर-5, कुड़ी भगतासनी, - जोधपुर फोन नं. : 9828109464 संपदा प्रबन्धक: 9166533310	आवासीय अभियन्ता खण्ड-द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, कुड़ी भगतासनी, जोधपुर फोन नं.: (II) 9983993940 (III) 9783810110 (IV) 9828109429
---	---	---

विशेष:

1. प्रस्तावित योजना के आवेदन पत्र निम्नांकित स्थानों/ कार्यालयों से राशि रुपये 300/- भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर पूर्ण करत
हुए निर्धारित तिथि तक इन्ही स्थानों/ कार्यालयों में जमा करवाये जा सकते हैं:-
 - युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, ऑंकारमल सोमानी कॉलेज शाखा, कमला नेहरू नगर, जोधपुर,
दूरभाष - 0291-2752592
 - आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, सैक्टर-18, चौपासनी हा. बोर्ड, जोधपुर - दूरभाष - 0291-3247139
 - एक्सिस बैंक, जोधपुर - दूरभाष - 0291-2647622
 - सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, राजस्थान आवासन मण्डल, ज्योति नगर, जयपुर-
दूरभाष-0141-2744735
2. आवेदन पत्र मण्डल की Website: www.rhbonline.rajasthan.gov.in से download करके भी प्रस्तुत किया जा सकता है। डाउनलोड
आवेदन पत्र की कीमत रु. 300/- पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जमा राशि की डी.डी./ पे ऑर्डर में शामिल कर जमा करानी होगी।

C.B. Jain

Dr. A.P. Jain 9828 78 78 65

Dr. B.L. Chaudhary



राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल द्वारा निर्मित आवासों के लिये पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें

“पंजीकरण योजना-वर्ष-2014-द्वितीय चरण”

(सभी आवेदकों हेतु)

कुड़ी भगतासनी योजना, फेज द्वितीय, पाली रोड, जोधपुर में
आर्थिक दृष्टि से कमजोर, अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग-अ के (जी+3) पलैट्स हेतु

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा अधिनियम संख्या 4/1970 के अन्तर्गत वर्ष 1970 में राज्य में मकानों की कमी पूर्ति हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल का सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे मकान बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

“पंजीकरण योजना, वर्ष 2014-द्वितीय चरण” का विवरण

जोधपुर शहर की आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा समय-समय पर विभिन्न आवासीय योजनाएँ यथा: कुड़ी भगतासनी योजना, चौपासनी आवासीय योजना आदि की सफलता के पश्चात् कुड़ी भगतासनी, पाली रोड में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग-अ के आवेदकों हेतु आवासीय योजना प्रारम्भ करने जा रहा है। इस योजना में मध्यम आय वर्ग-अ के 64 (जी+3), अल्प आय वर्ग के 224 (जी+3) एवं आ.दृ.से कमजोर आय वर्ग हेतु 416 (जी+3) पलैट्स निर्मित किए जाने प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका-1

क्र. सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या		पलैट का क्षेत्रफल SBA (वर्ग फीट में)	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)
1.	मध्यम आय वर्ग-अ	भूतल	16	802.50	32.00
		प्रथम तल	16	802.50	28.40
		द्वितीय तल	16	802.50	27.50
		तृतीय तल	16	802.50	25.60
		कुल	64*		
2.	अल्प आय वर्ग	भूतल	56	536.27	19.50
		प्रथम तल	56	536.27	17.50
		द्वितीय तल	56	536.27	17.00
		तृतीय तल	56	536.27	16.00
		कुल	224		
3.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	भूतल	104	348.60	11.50
		प्रथम तल	104	348.60	10.25
		द्वितीय तल	104	348.60	10.00
		तृतीय तल	104	348.60	9.50
		कुल	416		

* मध्यम आय वर्ग-अ के 64 में से मात्र 62 पलैट ही उपलब्ध है।

नोट:-

(i) फ्लैट्स की अनुमानित संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) उक्त तालिका में आवासों की केवल अनुमानित लागत दर्शाई जा रही है। अतः मण्डल द्वारा फ्लैट्स आवंटन के समय की अंतिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटन का कोई आक्षेप/विवाद मान्य नहीं होगा।

(iii) भूमि की उपलब्धता के अनुसार योजना के आवासों की माप में परिवर्तन किया जा सकता है।

आवासीय योजना की विशेषताएं:-

यह आवासीय योजना मण्डल की कुड़ी भगतासनी योजना के सैक्टर 8 एवं पाली रोड़ के पास अवस्थित है। इस आवासीय योजना की प्रमुख स्थानों से दूरी निम्न है :-

1. जोंधपुर रेल्वे स्टेशन	12.00 कि.मी.
2. केन्द्रीय बस अड्डा	15.00 कि.मी.
3. प्रस्तावित उच्च न्यायालय	01.00 कि.मी.
4. हवाई अड्डा	05.00 कि.मी.

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तें :-

आवासों/फ्लैट्स का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, उपनियमों, परिपत्रों एवं अनुबंधों के अनुसार किया जावेगा।

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में आवास का आवंटन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य/विशिष्ट पंजीकरण, स्ववित्त पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में आवास आवंटन हो चुका है, तो वह इस योजना में आवास आवंटन का पात्र नहीं होगा।
2. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं आश्रितों में से कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से एक ही आवास आवंटन की पात्रता रखेगा।
3. आवेदक स्वयं का अथवा आवेदक की पत्नी/पति या आवेदक पर आश्रित संबंधी के पास आवेदित शहर में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक आवास/भूखण्ड नहीं होना चाहिए।
4. (अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
(ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र "आधार कार्ड" (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए। (यदि प्राप्त कर लिये हो)
5. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नहीं किया गया है एवं यदि वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास/फ्लैट आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन फार्म में करेगा तथा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास/फ्लैट आवंटित किया गया है।

7. मण्डल द्वारा आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा:-

तालिका-4

क्र. सं.	ग्रुप	आवेदक की श्रेणी	आरक्षित कोटा	योजना में EWS श्रेणी के आरक्षित फ्लैट	योजना में LIG श्रेणी के आरक्षित फ्लैट	योजना में MIG-A श्रेणी के आरक्षित फ्लैट
1	जी-1	वैतनिक श्रेणी-प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी-द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	18 प्रतिशत 10 प्रतिशत	75 42	40 22	11 6
2	जी-2	सामान्य श्रेणी - प्रथम द्वितीय - प्रोफेशनल्स श्रेणी (एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं प्राइवेट डाक्टर्स)	29 प्रतिशत 5 प्रतिशत	121 21	66 11	18 3
3	जी-3	मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	1 प्रतिशत	4	2	1
4	जी-4	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	67	36	10
5	जी-5	अनुसूचित जन जाति	12 प्रतिशत	50	27	7
6	जी-6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार	1.5 प्रतिशत	6	3	1
7	जी-7	स्वतन्त्रता सेनानी	0.5 प्रतिशत	2	1	0
8	जी-8	भू. सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	3 प्रतिशत	12	7	2
9	जी-9	विकलांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	1 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 1 प्रतिशत	12	7	2
10	जी-10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ ऐशियाड / ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	1 प्रतिशत	4	2	1
		योग	100 प्रतिशत	416	224	62

- नोट:- 1. उपरोक्तानुसार किसी भी आरक्षित वर्ग में योग्य आवेदक फ्लैट आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष आरक्षित फ्लैट सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवंटित किये जायेंगे।
2. श्रेणीवार आरक्षित कोटा निर्धारण हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र अनिवार्य हैं अन्यथा आवेदक का पंजीकरण अवैतनिक श्रेणी प्रथम में मान लिया जायेगा।

8. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/ विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सेनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ-पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।
9. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएँ गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/ आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

10. आवासों/प्लैट्स का आवंटन नगद भुगतान तथा किराया क्रय पद्धति के आधार पर किया जायेगा। निर्मित आवासों में 45 प्रतिशत आवास नगद भुगतान तथा 55 प्रतिशत किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जायेंगे।
11. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग-अ के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक-व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस राशि रु. 500/-, 700/- तथा 1000/- क्रमशः देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समयोजन नहीं किया जाएगा।
12. उपरोक्त योजनान्तर्गत आवेदन पत्र के साथ जमा करायी जाने वाली पंजीकरण राशि तथा प्रोसेसिंग फीस का विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका-3

आवेदक का आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि	प्रोसेसिंग फीस	कुल देय राशि
आर्थिक दृ. से कमजोर	1,00,000/- तक	7,000/-	500/-	7,500/-
अल्प आय वर्ग	1,00,001/- से 2,50,000/-	15,000/-	700/-	15,700/-
मध्यम आय वर्ग-अ	2,50,001 से 4,50,000 तक	50,000/-	1000/-	51,000/-

अ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं परन्तु प्रोसेसिंग फीस पूरी जमा करानी होगी।

ब. वर्तमान में सेवारत थल सेना, नौ सेना, वायुसेना के सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिक एवं इनकी वीरांगनाएँ निर्धारित पंजीकरण राशि का 1/10 भाग ही जमा करा सकते हैं परन्तु प्रोसेसिंग फीस पूरी जमा करानी होगी।

नोट:

यदि आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से download करके प्रस्तुत किया जाता है तो पंजीकरण राशि के साथ फार्म की कीमत रुपये 300/- पंजीकरण राशि की DD/Pay Order में शामिल कर आवेदन पत्र के साथ जमा करवानी होगी।

13. पंजीकरण एवं प्रोसेसिंग फीस की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक का पूर्ण विवरण अर्थात् संख्या, दिनांक तथा संबंधित बैंक जिससे बैंकर चैक/ड्राफ्ट प्राप्त किया गया है, चालान में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जावे। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक "राजस्थान आवासन मण्डल" के पक्ष जोधपुर में देय होना आवश्यक है। आवेदन-पत्र संलग्न चालान, बैंक ड्राफ्ट तथा वांछित दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम, आवासीय अभियन्ता, खण्ड-द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, कुड़ी भगतासनी योजना, जोधपुर अथवा निर्धारित बैंकों में निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त पंजीकरण आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
14. आय वर्ग से ऊपर के आवासों/प्लैट्स के पंजीकरण नगद भुगतान पद्धति पर भी मान्य होंगे। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के आवासों हेतु मध्यम आय वर्ग(ब) व उच्च आय वर्ग के आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगे तथा पात्रता आय वर्ग से नीचे की श्रेणी में आवेदन करने पर मूल पात्रता के आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

15. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी:-

(अ) स्वयं के लिए -

1. वेतन
2. विशेष वेतन
3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
5. गृह/सम्पत्ति/व्यापार से आय
6. विनियोग से ब्याज
7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।

(ब) आवेदक की पत्नी/पति की आय उपरोक्तानुसार।

(स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।

16. आवासों/फ्लैट्स का निर्माण प्रारम्भ होते ही सफल आवेदकों को पूर्वग्रहण राशि के पत्र जारी किये जायेंगे, जिसमें निम्नानुसार प्रथम, द्वितीय व तृतीय पूर्वग्रहण राशि का भुगतान, पत्र जारी होने की तिथि से क्रमशः एक, चार व सात माह में जमा करवाकर चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। यदि आवेदक राशि जमा कराने की सूचना नहीं देने के कारण लाटरी से वंचित रहता है तो इसके लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। पूर्वग्रहण राशि जमा नहीं होने की स्थिति में मण्डल आवास का आवंटन नहीं करेगा एवं पंजीकरण नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा पंजीकरण राशि में से नियमानुसार 20 प्रतिशत राशि की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। मण्डल प्रथम पूर्वग्रहण राशि जमा होने पर आवेदक को लाटरी द्वारा आवास आवंटन के लिये स्वतंत्र होगा।

आवास/फ्लैट की आयवर्गानुसार ली जाने वाली पूर्वग्रहण राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका-4

क्र. सं.	आय वर्ग	किस्त (रुपये में)			योग
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
1	आर्थिक दृ. से कमजोर आय वर्ग	5,000	5,000	5,000	15,000
2	अल्प आय वर्ग	10,000	10,000	10,000	30,000
3	मध्यम आय वर्ग-अ	40,000	30,000	30,000	1,00,000

17. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस) अहाते की दीवार, बगीचे, खुले, स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को, आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड एजेंसी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। रख-रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डर-टेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।
18. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों/फ्लैट्स की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) नियमानुसार उसके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा एवं बैंक से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।
19. मण्डल द्वारा एक शहर में एक ही दिन विभिन्न वृत्तों में एक साथ योजनाएं आरम्भ करने पर कोई भी व्यक्ति सभी योजनाओं में आवेदन करने का पात्रता रखेगा, परन्तु एक से अधिक योजना में आरक्षित होने पर उसे किसी एक योजना में आवास प्राप्त करने का विकल्प आवश्यक रूप से देना होगा। आवेदक द्वारा उक्त तथ्य छुपाने पर यदि यह तथ्य जानकारी में आएगा तो एक आवास सदैव निरस्त योग्य रहेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इस आशय का उल्लेख आवेदक को शपथ पत्र में भी करना अनिवार्य होगा।

20. रिफण्ड

- (I) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
 - (II) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
 - (III) यदि आवेदक पूर्वग्रहण राशि का पत्र जारी होने के पश्चात राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
21. प्रस्तावित योजना किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
 22. आवास/फ्लैट्स आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
 23. मण्डल निर्मित आवासों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
 24. किराया क्रय पद्धति से आवास/फ्लैट्स आवंटित होने पर तथा आवास का कब्जा नहीं लिये जाने की स्थिति में यदि कोई आवंटनी चाहे तो वह भुगतान पद्धति को नगद भुगतान में परिवर्तित करवा सकता है। इस बाबत आवंटनी को आवंटन पत्र जारी होने की दिनांक से 6 माह के अन्दर आवेदन करना होगा। संशोधित आवंटन-पत्र पूर्व में जारी आवंटन पत्र के निरन्तर क्रम में जारी किया जायेगा तथा उसकी जारी करने की तिथि पूर्व में जारी पत्र की ही मान्य होगी एवं आवास की एक मुश्त (नकद भुगतान) राशि नियत उक्त छः माह की अवधि में ही नियमानुसार शास्ती/ब्याज सहित जमा करानी होगी। उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात आवंटित आवास की कार्यवाही किराया क्रय पद्धति के अनुरूप ही की जायेगी। नकद भुगतान पद्धति से आवास आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जावेगा।
 25. आवंटन लॉटरी में आवेदक को आवास/फ्लैट्स के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् आवास की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु आवंटन-पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उक्त आवंटन पत्र की मांग राशि जमा कराने के लिये समयावधि मण्डल द्वारा नियमानुसार प्रदान की जावेगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही कर आवास का पंजीकरण एवं आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
 26. पूर्वग्रहण राशि पत्र के मांग पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख-रेख योजना के अर्न्तगत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही आवासों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवास के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सकेंगे।
 27. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास/फ्लैट्स के आवंटन पत्र में वर्णित विविध खर्च देय होंगे जिनका मकान के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्च निम्न प्रकार के होंगे:-
क. **लैंज राशि** : यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।

ख. किराया क्रय अग्रिम जमा राशि : यह राशि जो कि आवास की कुल कीमत का 5 प्रतिशत है, मण्डल के पास धरोहर के रूप में जमा रहेगी और आवंटी द्वारा विभिन्न बकाया राशि समय पर जमा न कराने की दशा में जब्त की जा सकती है। यह राशि किराया क्रय अवधि के सतोषप्रद रूप से पूर्ण हो जाने पर समायोजित/लौटा दी जावेगी।

ग. सेवाकर : यह राशि आवंटन पत्र की कुल मांग राशि की 3.09 प्रतिशत की दर से वसूलनीय होगी।

घ. विधिक शुल्क - मण्डल के आवंटियों द्वारा दायर विभिन्न परिवारों के लिए मण्डल द्वारा वहन किये जा रहे व्यय हेतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु रु. 200/-, अल्प आय वर्ग हेतु रु. 300/- तथा मध्यम आय वर्ग-अ हेतु रु. 500/- की राशि वसूलनीय होगी।

ङ. ए.एस.सी. (एन्सीलरी सर्विस चार्जज) : यह राशि मध्यम आय वर्ग 'अ' / 'ब' / उच्च आय वर्ग के आवासों के लिए कुल कीमत का 3 प्रतिशत होगा।

य. अन्य स्वर्च :

- (I) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।
 - (ii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल एवं अन्य विधिक संस्था द्वारा वसूलनीय कर यथा सर्विस टैक्स, सैस आदि भी मांग अनुसार आवंटी को पृथक से जमा करवाने होंगे।
28. मंडल के आवास/प्लैट्स केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
 29. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।
 30. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
 31. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :-
 1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
 2. सेनेटरी फिटिंग
 3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।

32. मंडल अपनी योजनाओं में आवासों/फ्लैट्स में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटि को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर मंडल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, तथा इस विषय में आवंटि का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
33. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मंडल के पास सुरक्षित रहेगा।
34. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मंडल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा, जो ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया बाध्यकारी होंगे।
35. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटि को आवंटित सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और कब्जा लेने के बाद में किसी आगामी स्तर पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
36. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, कुड़ी भगतासनी योजना, जोधपुर कार्यालय के पते पर देवे। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मंडल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। **पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवे।**
- (ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय-समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय से सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवे।
37. यदि आवेदक आवास/फ्लैट्स आवंटन के पश्चात् मंडल को देय राशि के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करता है तो मंडल को कोई आपत्ति नहीं होगी।
38. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा— आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्व-हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
39. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास/फ्लैट लेना चाहता है।
40. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भुगतान पद्धति स्पष्ट इंगित की जानी चाहिए यदि नहीं करता है तो उसे किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत माना जावेगा।

41 आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उसके ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदन-कर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें तथा उपरोक्त स्थिति में आवेदक स्वयं पूर्ण हस्ताक्षर करें।

42 मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

43 मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्वहस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु :-

- i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- ii. दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।
- iii. आवेदन-पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण-पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।
- iv. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- v. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सेनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/औलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ-पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- vi. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।
- vii. लाटरी से जो भी आवास आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा, परन्तु नकद भुगतान पद्धति पर आवंटित/विक्रित आवास का परिवर्तन (Exchange) आवंटियों की आपसी सहमति पर किये जाने की स्वीकृति मण्डल द्वारा प्रदत्त की जायेगी, जिसके लिए आवास के विक्रय मूल्य की 1 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क मण्डल में जमा कराना होगा।
- viii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- ix. आवास आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख-रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- x. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जोधपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- xi. योजना में एक व्यक्ति का स्वतंत्र अथवा संयुक्त रूप से केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा।
- xii. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।
- xiii. आवंटी से यह उम्मीद की जाती है कि उनको आवंटित फ्लैट/आवास में उपलब्ध कराई गई सभी सुविधाओं को भली-भाँति देख ले। आवंटी द्वारा मण्डल से कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् फ्लैट/आवास में किसी कमी के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा।

xiv उक्त योजना के माध्यम से आवंटित फ्लैट/आवास किन्हीं कारणों से यदि निरस्त किया जाता है या अवशिष्ट हो जाता है तो ऐसे अवशिष्ट आवास का निस्तारण खुली बिक्री योजना अथवा नीलामी के माध्यम से करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

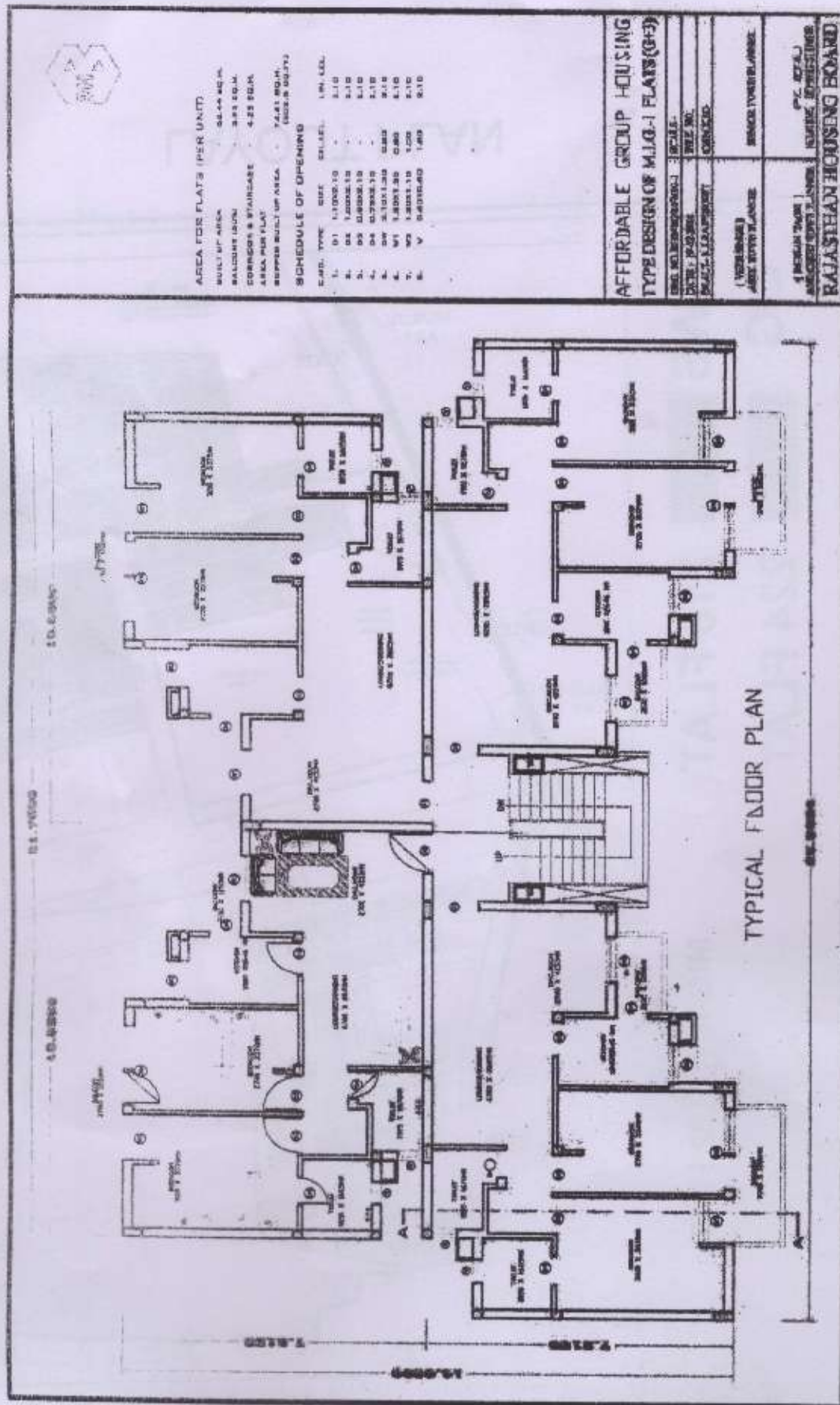
xv. आवेदन पत्र पुस्तिका (Booklet) राजस्थान आवासन मण्डल के संबंधित कार्यालय एवं बैंकों के निम्नलिखित कार्यालय से रुपये 300/- नकद देकर व्यक्तिशः अथवा रुपये 350/- का बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर, जो कि राजस्थान आवासन मण्डल (Rajasthan Housing Board) के पक्ष में **जोधपुर** स्थित किसी भी बैंक में देय हो, उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम, आवासीय अभियन्ता, खण्ड द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, राज. आवासन मण्डल, कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर को भेजकर डाक से प्राप्त करके आवेदन-पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा कराए जा सकते हैं।

शहर का नाम	कार्यालय का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर
जोधपुर	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल, वृत्त प्रथम, सैक्टर-5, कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर फोन नं. 9828109464 संपदा प्रबन्धक 9166533310 आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, कुडी भगतासनी, जोधपुर खण्ड द्वितीय, सैक्टर-4, कुडी भगतासनी-फोन नं.: 9983993940 (आ.द. से कमजोर आय वर्ग) खण्ड तृतीय- 1-बी-119, कुडी भगतासनी-फोन नं.: 9783810110 (अल्प आय वर्ग) खण्ड चतुर्थ-8 बी-105, कुडी भगतासनी योजना- फोन नं. 9828109429 (मध्यम आय वर्ग-अ)

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित बैंक कार्यालयों से भी आवेदन पुस्तिका नकद भुगतान कर प्राप्त की जाकर पूर्ण करने के पश्चात् आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा कराई जा सकती है:-

- युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, ओंकारमल सोमानी कॉलेज शाखा, कमला नेहरू नगर, जोधपुर, दूरभाष - 0291-2752592
- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, सैक्टर-18, चौपासनी हा. बोर्ड, जोधपुर - दूरभाष - 0291-3247139
- एक्सिस बैंक, जोधपुर - दूरभाष - 0291-2647622
- सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, राजस्थान आवासन मण्डल, ज्योति नगर, जयपुर- दूरभाष-0141-2744735

आवेदन पत्र मण्डल की Website: www.rhbonline.rajasthan.gov.in से download करके भी प्रस्तुत किया जा सकता है। डाउनलोड आवेदन पत्र की कीमत रु. 300/- पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जमा राशि की डी.डी./ पे ऑर्डर में शामिल कर जमा करानी होगी।



कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना, फेज द्वितीय, पाली रोड, जोधपुर
नवीन पंजीकरण योजना, 2014 (द्वितीय चरण)

LAYOUT PLAN

EWS  **216 FLAT**
LIG  **224 FLAT**

MIG-A  **62 FLAT**

